निगम जोन 03 स्वास्थ्य विभाग ने शंकर नगर वार्ड क्रं. 31 एवं गुरूगोविंद सिंह वार्ड क्रं. 34 में पहुंचकर अभियान चलाकर दुकानों का निरीक्षण।

निगम जोन 03 स्वास्थ्य विभाग ने शंकर नगर वार्ड क्रं. 31 एवं गुरूगोविंद सिंह वार्ड क्रं. 34 में पहुंचकर अभियान चलाकर दुकानों का निरीक्षण।

नगर पालिक निगम, रायपुर के आयुक्त डॉ.सारांष मित्तर के निर्देष पर जन षिकायतें मिलते ही नगर निगम जोन 03 स्वास्थ्य विभाग ने शंकर नगर वार्ड क्रं. 31 एवं गुरूगोविंद सिंह वार्ड क्रं. 34 में पहुंचकर अभियान चलाकर दुकानों का निरीक्षण किया। जन षिकायतें सही मिलने पर एवं नाली में दुकान का कचरा व मलमा डालकर निकास प्रबंधन को अवरूद्ध किया जाना पाकर संबंधित व्यापारियों पर व्यवस्था सुधारने जुर्माना लगाने की कार्यवाही की है।

नगर निगम जोन 03 आयुक्त श्री एस.के.राठौर व जोन स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.षिव शर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त डॉ.सारांष मित्तर के निर्देष पर जन षिकायते मिलते ही निगम जोन 03 स्वास्थ्य विभाग ने जोन के शंकर नगर एवं गुरु गोविंद सिंह वार्ड में अभियान चलाकर जन षिकायतें सही मिलने व दुकानों का कचरा व मलमा नाली में डालकर निकास में बाधा डालने को पाकर शंकर नगर वार्ड के पूरनचंद साहू नास्ता दुकान पर 300 रूपये, लखन ताण्डी नास्ता दुकान पर 200 रूपये, किषोर बघेल एवं नरेष पान ठेला पर 200-200 रूपये, वीजेन्द्र साहू, नास्ता दुकान पर 300 रूपये, उमेष गुप्ता पान ठेला पर 200 रूपये, कमल किषोर सिंह मैना जूस सेंटर पर 1000 रूपये, कृष्णा राव साउर्थ इंडियन इडली पर 300 रूपये और गुरु गोविंद सिंग वार्ड में नाली में मलमा डालने पर शोभाराम ताण्डी पर 300 रूपये, नाली में कचरा डालने पर चाय-नाष्ता दुकान के संचालक अन्नु दीप पर 200 रूपये, इस प्रकार नाली में कचरा व मलमा डालते मिलें 10 व्यापरियों पर कुल 3200 रूपये का जुर्माना व्यवस्था सुधार हेतु जनहित में जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जन षिकायतों का त्वरित निदान करते हुये लगाया है।

By Nagar Nigam Raipur | July 27th, 2015 | Raipur | 0 Comments